246

R. 2131-III/13

हीरा लाल बैगा पिता बउरा बैगा निवासी ग्राम-बरूका, तहसील-सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.)

-- आवेदक

बनाम

1- कल्ली नायक पिता अमरा नायक, निवासी ग्राम-बरूका, तहसील-सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.)

2- लल्ला पिता कल्लू कोल, निवासी ग्राम- पटासी, तहसील-सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय श्रीमान् अपर कलेक्टर शहडोल, जिला शहडोल के रा.प्र.क्र. 25/अपील/अ-23/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 25.04.13,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं. 1959,

मान्यवर,

आवेदक निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि:-

निगरानी का संक्षेप

1- यह कि, आवेदक ग्राम- बरूका का निवासी है जो आदिवासी बैगा जाति का है तथा अनावेदक क्र. 1 सामान्य जाति का है जो ग्राम- बरूका में रहता है । अनावेदक क्र. 2 दूरस गाँव पटासी का निवासी है । प्रश्नाधीन भूमि ग्राम- बरूका में स्थित है जो आदिवासी की है । आवेदक ने जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 10.3.2004 को क्रय कर मौके से काबिज था ।

2- यह कि, अनावेदक क्र. 1 कल्ली नायक ने अनावेदक क्र. 2 लल्ला बेनामी व्यक्ति के नाम क्रय कर आदिवासी की भूमि पर कब्जा किया है । सोहागपुर तहसील जिला शहडोल (म.प्र.) अधिसूचित क्षेत्र होने से आदिवासी की भूमि गैर-आदिवासी को क्रय करने का अधिकार नहीं है तथा वर्ष 1979 से कलेक्टर को भी अनुमति देने का अधिकार नहीं है । अनावेदक क्र. 1 ने बेनामी आदिवासी के नाम से भूमि क्रय कर आदिवासी की भूमि पर कब्जा किया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2131-तीन/2013 जिला शहडोल हीरालाल विरूद्ध कल्ली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित। आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर शहडोल के प्रकरण क्रमांक 25/अपील/अ-23/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 25-04-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-06-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य